बिहार सरकार
कला एवं संस्कृति विभाग

ज्ञाप सं0–2 / वि.60–171 / 2024–..................... /   पटना, दिनांक–............... / 2026

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

विषय :– आम्रपाली प्रशिक्षण केन्द्र, नालंदा का अगस्त 2025 से अक्टूबर 2025 तक के मकान किराये का भुगतान के निमित राशि ₹ 1,79,892 / –(एक लाख उनासी हजार आठ सौ बानवे रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति।

आदेश:– स्वीकृत।

2. राशि का विकलन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग संख्या–08 के अधीन बजट शीर्ष "2205–कला एवं संस्कृति–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–0101–कला और संस्कृति का संवर्द्धन, विपत्र कोड–08–2205001020101 के अंतर्गत विषय शीर्ष 2002 कान्फ्रेंस, कार्यशाला सेमिनार में होगा।
3. इस राशि की निकासी जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, नालंदा द्वारा जिला कोषागार, नालंदा से की जायेगी तथा आम्रपाली प्रशिक्षंण केन्द्र के मकान किराये का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही राशि का व्यय वित्त संशोधन नियमावली 2024, बिहार लोक निर्माण संहिता तथा वित्त विभागीय संकल्प के आलोक में किया जायेगा।
4. जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, नालंदा द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन एवं व्यय विवरणी आदि कला एवं संस्कृति विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. यह स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888, दिनांक–03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में दी गयी है।
6. उक्त प्रस्ताव पर आंतरिक वितीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–2 / वि.60–171 / 2024 के पृष्ठ–08 / टि0, दिनांक–02.04.2026 एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ–07 / टि0, दिनांक–30.03.2026 पर प्राप्त है।
7. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि (2) दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0 / –
(रूबी)
निदेशक, सांस्कृतिक कार्य।

ज्ञापांक ...05... /   पटना, दिनांक 06/04 / 2026

प्रतिलिपि :–जिला कोषागार पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:–सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक, (सांस्कृतिक कार्य) / प्रशाखा पदा0–1 एवं 2 / सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट) / प्रबंधक, आई0टी0, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

06/4/26
निदेशक, सांस्कृतिक कार्य।